



भारत ने CDRI के साथ मुख्यालय समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दी

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और [आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन](#) (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure- CRDI) के बीच [मुख्यालय समझौते](#) (Headquarters Agreement- HQA) के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।

आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI):

- **परिचय:**
 - CDRI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें राष्ट्रीय सरकारों, [संयुक्त राष्ट्र](#) एजेंसियों और कार्यक्रमों, [बहुपक्षीय विकास बैंकों](#) तथा वित्तपोषण तंत्र, नजीक क्षेत्र एवं शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की वैश्विक भागीदारी शामिल है।
- **लक्ष्य:**
 - इसका उद्देश्य [सतत विकास](#) सुनिश्चिती करने के लिये जलवायु और आपदा जोखिम रोधी अवसंरचनात्मक ढाँचा प्रणालियों का विकास करना है।
- **सदस्य:**
 - इसकी स्थापना के बाद से 31 देश, 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन और 2 नजीक क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए हैं।
 - 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन: [एशियाई विकास बैंक](#), [वशिव बैंक समूह](#), [संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम](#), [आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय \(UNDRR\)](#), [यूरोपीय संघ](#), [यूरोपीय नविश बैंक](#)।
- **मुख्यालय समझौते के अनुसमर्थन के लाभ:**
 - मुख्यालय समझौते का अनुसमर्थन करने से CDRI को छूट, प्रतिक्रिया एवं वशिषाधिकार प्रदान करने में सुविधा होगी जैसा कि [संयुक्त राष्ट्र \(वशिषाधिकार और प्रतिक्रिया\) अधिनियम, 1947](#) की धारा-3 में वर्णित है।
 - यह CDRI को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने और अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करने में सक्षम बनाएगा।
 - इससे [CDRI के संस्थापक सदस्य और मेज़बान देश](#) के रूप में भारत की विश्वसनीयता तथा पहुँच में वृद्धि होगी।
- **भारत के लिये महत्त्व:**
 - CDRI भारत को जलवायु कार्यवाही और आपदा प्रबंधन में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिये मंच प्रदान करता है।
 - यह भारत की भूमिका को बढ़ावा देता है लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसका अर्थव्यवस्था में कहीं अधिक व्यापक अर्थ है जैसे- आपदा जोखिम न्यूनीकरण, [सतत विकास लक्ष्य \(SDG\)](#) और जलवायु समझौते के बीच तालमेल।

CDRI द्वारा की गई पहल:

- **इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियेंट स्टेट्स (IRIS):**
 - भारत ने CDRI के एक भाग के रूप में इस पहल की शुरुआत की है जो विशेष रूप से [छोटे विकासशील द्वीपीय देश या SIDS](#) में क्षमता निर्माण और पायलट परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस एक्सेलेरेटर फंड:**
 - इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस एक्सेलेरेटर फंड [संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम \(UNDP\)](#) तथा [संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय \(UNDRR\)](#) दोनों द्वारा समर्थित एक राहत कोष है।
 - यह एक ट्रस्ट फंड है जिसे [संयुक्त राष्ट्र मल्टी-पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस \(UN MPTFO\)](#) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा ताकि विकासशील देशों और SIDS पर विशेष ध्यान देने के साथ आपदाओं का सामना करने हेतु बुनियादी ढाँचे की प्रणालियों की क्षमता में सुधार करने में सहायता मिल सके।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

